

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
1/17, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, खान भाकरी रोड, दौसा-303303

Email: ame.dausa@rajasthan.gov.in

दूरभाष नं. 01427-224765

क्रमांक:सखअ/दौसा/निविदा/2021/1839

दिनांक :- 14.09.2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दौसा जिले के विभिन्न पुलिस थाना/चौकियो/विभागीय चैक पोस्टो पर पडी हुई बजरी आरक्षित दर 550/-रु. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स दौसा द्वारा अनुमोदित) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/- रु. का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, दौसा" (ASSISTANT MINING ENGINEER DAUSA) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 04 अक्टुम्बर 2021 (दोपहर 1.30 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रत्येक पुलिस थाना/चौकी/विभागीय चैक पोस्ट पर पडी बजरी के लिए अलग-अलग बोली दरे मय बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, दौसा के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 04 अक्टुम्बर 2021 (सांयकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 05 अक्टुम्बर 2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

(पिकराव सिंह)

सहायक खनि अभियन्ता दौसा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
1/17, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, खान भाकरी रोड, दौसा-303303

दूरभाष नं. 01427-224765

Email: ame.dausa@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 14.09, 2021

क्रमांक:सखअ/दौसा/निविदा/2021/1840

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

दौसा जिले के विभिन्न थाना/चौकी/विभागीय चैक पोस्टो पर अवैध खनन/निर्गमन/ओवरलोडिंग चैकिंग के दौरान खाली कराई गई बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पडी हुई है। बजरी नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 04 अक्टुम्बर 2021 को सायं 5.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	पुलिस थाना/चौकी /विभागीय चैक पोस्ट का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानत राशि
1	रिजर्व पुलिस लाईन दौसा	742	8170
2	रामगढ पचवारा	139	1530
3	मण्डावरी	638	7020
4	नांगल राजावतान	332	3660
5	सदर	320	3520
6	सैथल	30	330
7	सिकन्दरा	89	980
8	राणोली चौकी	6	70
9	मुकुरपुरा चौकी	5	60
10	मानपुर	57	630
11	बालाहेडी चौकी	6	70
12	बांदीकुई	6	70
13	बसवा	66	730
14	दुब्बी चौकी	101	1120
15	गुढा कटला चौकी	16	180
16	कोतवाली	60	660
17	लालसोट	231	2550
18	लवाण	10	110
19	मेहन्दीपुर बालाजी	12	140
20	महवा	111	1230
21	मण्डावर	6	70
22	विभागीय चैक पोस्ट बिलोना कलां	450	4950
23	विभागीय चैक पोस्ट महवा	30	330

निविदा शर्त :-

1. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार /विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
2. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/पुलिस चौकी/विभागीय चैक पोस्ट का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए।

- सभी निविदाएँ कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा में रखे टेंडर बॉक्स में दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेंगी।
3. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, दौसा के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक थाना क्षेत्र/चौकी/विभागीय चैक पोस्ट के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
 4. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
 5. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर/विभागीय चैक पोस्ट पर की जा सकती है।
 6. सफल निविदादाता को बजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर/विभागीय चैक पोस्ट पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, (परन्तु नीलामी हेतु तय मात्रा से अधिक नहीं) उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
 7. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को बजरी 15 दिवस में उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
 8. सफल निविदादाता को सम्बन्धित थाना क्षेत्र/चौकी/विभागीय चैक पोस्ट की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 9. निविदादाता को एग्जिस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 10. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
 11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
 12. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
 13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
 14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन हेतु विभागीय रवन्ना जारी किये जायेगे।
 15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयुक्त स्थान पर परिवहन करेगा।
 16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा बजरी की फोटो, वाहनो की तौल परिचियां एवं भरे हुए वाहनो के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं उठाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता दौसा द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।



(पिंकराव सिंह)


सहायक खनि अभियन्ता दौसा

दिनांक :- 14.09.2021

क्रमांक:सखअ/दौसा/निविदा/2021/1841-1882

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलक्टर, दौसा
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा
7. श्रीमान आयुक्त नगर परिषद दौसा
8. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी लालसोट/मण्डावरी/महवा/बांदीकुई
9. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, लालसोट/महवा/रामगढ पचवारा/नांगल राजावतान/दौसा/सिकराय/बांदीकुई/मण्डावर
10. थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा, मण्डावरी, नांगल राजावतान, सदर, सैंथल, सिकन्दरा, मानपुर, बांदीकुई, बसवा, कोतवाली, लालसोट, लवाण, मेहन्दीपुर बालाजी, महवा, मण्डावर
11. संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन दौसा
12. चौकी प्रभारी पुलिस चौकी राणोली, मुकुरपुरा, बालाहेडी, दुब्बी, गुढा कटला
13. श्री सुभाष चन्द्र, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर
14. डी.एम.जी.ओ.एम.एस. लिपिक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।



सहायक खनि अभियन्ता, दौसा